

9.7.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त 34.1 रू. लि. 10 व. 2 रु. नोटिफ काद 11/11/24 पा. ला शिफ्ट को. रु. रू. नोटिफ पेश करि पर पाती लो। ए. ए. 5/15/24 ए. ए. 1/1/24 पत्रावली वा. रू. ए. ए. 1/1/24 का पेश हो। *अप*

13/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रस्पॉण्ड की तामील शेष ह इस हेतु अपीलान्त शेष रस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 1.9.24 का पेश हों। *अप*

6-9-24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 2.4.24 को पेश हो।

24.9.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हवागत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली संसल नुसार होकर न्याय के कार्य होकर बाद अन्तिम तकमील दाखिल दफ्तर हो। *अप*



श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं
षदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प हाउस)